सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 42 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–13.03.2024

GCMS ID–2024 / 132

1. प्यारेलाल आ0 सुवा जाति रेगर निवासी रामी की झोपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. धनराज आ0 सुवा जाति रेगर निवासी रामी की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी 1 :– एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 2 :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 03 / 01 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 49 खसरा संख्या 795 / 14 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3642 हैक्टेयर वाके ग्राम रामी की झौपडिया पटवार मण्डल गुढा में विस्थिति है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। तथा प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से फ़सल बोता जोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 795 / 14 हैक्टेयर की गत तरमीम करते समय कर्ताओ द्वारा त्रृटिवश प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 795 / 14 की तरमीम धनराज की भूमि खसरा संख्या 796 / 14 पर कर दी गई है, तथा मौके व कब्जे के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, जो नक्शा देखने से ही प्रकट है, इस बात का पता नक्शे की नकल निकलवाने व देखने पर पता चला नक्शे की नकल सलंग्न है, इसलिए प्रार्थी श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके मौके एवं कब्जे के अनुसार सही तरमीम नहीं गई तो सहखातेदार के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक मौके एवं कब्जे के अनुरूप जॉच

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की ख़ाता संख्या 49 खसरा संख्या 795/14 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3642 हैक्टेयर वाके ग्राम रामी की झौपडिया पटवार मण्डल गुढा की तरमीम को खसरा संख्या 796/14 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4452 के स्थान पर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/24/4000 दिनांक 13.11.2024 में ग्राम रामी की झौपडिया के वर्तमान खसरा संख्या 795/14 रकबा 0.3642 हैक्टेयर भूमि की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट में खसरा संख्या 795/14 के स्थान पर संहवन से खसरा संख्या 796/14 ऑनलाईन नक्शे में दर्ज हो गए है जिन्हे खसरा संख्या 796/14 के स्थान पर पुनः 795/14 दर्ज किया जाना अपेक्षित है। पेरोकार सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम खसरा संख्या 796/14 के स्थान पर खसरा संख्या 795/14 किया जाना उचित होना आदेशिका पर अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम रामी की झौपडिया के ख.सं 795/14 के स्थान पर डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम खसरा संख्या 796/14 को वापस 795/14 किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 796/14 की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 795/14 के स्थान पर की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 796/14 के स्थान पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खसरा संख्या 795 / 14 वाके ग्राम रामी की झौपडिया पटवार मण्डल गुढा तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 03.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

03/01/2025

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)